बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

पत्रांक – प्र02/ ग्रा0 वि0 –01/2014 (खंड) पटना, दिनांक –________

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः 12 वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत 17 जिलों के लिए 3806.62 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 4633.88 करोड़ रूपये की स्वीकृति योजना के अन्तर की राशि 827.26 करोड़ रूपये में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 401.26 करोड़ (चार सौ एक करोड़ छब्बीस लाख) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

12 वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित 27 जिलों के डी0 पी0 आर0 को आर0 ई0 सी0 के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया। 27 जिलों के डी0 पी0 आर0 की कुल प्राक्कलित राशि 9569.86 करोड़ रूपये के विरूद्व आर0 ई0 सी0 द्वारा राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के मापदण्डों के अनुरूप डी0 पी0 आर0 में प्रस्तावित कार्यों की मात्रा में कटौती कर कुल 5220.62 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. उपर्युक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्यादेश संख्या 843 दिनांक 24.02.2014 द्वारा प्रदान की गई है। जिसके अन्तर्गत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत 17 जिलों के लिए 3806.62 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। तदनुसार कार्य निविदा आमंत्रित कर विभिन्न संवेदकों को कार्य आवंटित किया गया जिसमें कुल योजना की लागत बढ़कर 4633.88 करोड़ रूपये हो गयी।

3. योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त निविदा के आधार पर निर्गत कार्यादेश की राशि, स्वीकृत राशि से अधिक होने पर आर.ई.सी. द्वारा सुझाये तीन विकल्पों में से प्रथम विकल्प के आलोक में अन्तर की राशि 827.26 करोड़ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति एवं 5.00 करोड़ रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 2451 दिनांक 23.08.2015 द्वारा प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1.00 करोड़ रूपये राज्यादेश संख्या– 1037 दिनांक 29.03.2016 द्वारा प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 420.00 करोड़ रूपये राज्यादेश संख्या 1174 दिनांक 21.04.2016 द्वारा प्रदान किया गया। कार्य प्रगति को देखते हुए इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराई गई राशि के अतिरिक्त शेष राशि 401.26 करोड़ रूपये वित्तीय वर्ष 2017–18 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के अन्तर्गत 17 जिलों के लिए 3806.62 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 4633.88 करोड़ रूपये की स्वीकृति योजना के अन्तर की राशि 827.26 करोड़ रूपये में से इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 401.26 करोड़ रूपये (चार सौ एक करोड़ छब्बीस लाख रूपये) नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृ0पृ0उ0

5. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801– बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष– 190– सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0 –10– उपशीर्ष– 0107 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड– 10–4801051900107 विषय शीर्ष 5401– निवेश के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0 एल0 खाता) के मुख्य शीर्ष 8448– स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष एल0 8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–के0–8448001200048 में जमा की जायेगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या– प्र02/ ग्रा0 वि0 –01/2014 (खंड)के पृष्ठ संख्या 27/टि0 पर दिनांक 22.08.2015 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– प्र02/ ग्रा0 वि0 –01/2014 (खंड)के पृष्ठ संख्या 50/टि0 पर दिनांक 26.04.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र02/ ग्रा0 वि0 –01/2014 (खंड) दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र02/ ग्रा0 वि0 –01/2014 (खंड) 1423 दिनांक 27.04.2017

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/ बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/ संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग /लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लि0 पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।